

12/3/22

Bharam
प्राची
उपनिषा

प्राची अधिवक्ता द्वारा प्रा पत्र पेश कर
तलब करने हेतु निवेदन किया प्रावली
तलब की गई तदधीनकार जोधपुर का
जवाब प्राप्त हुआ जिसमें अवगत कराया
गया की प्राची रामेश्वरलाल पिता शिवलाल
का नाम प्रशासन गाँवो के अंग में शुद्ध
किया जा चुका है अतः प्रा पत्र निम्नोक्त
माना जाकर प्रावली फेसल शुमार देकर
दारिद्वल दफ्तर हो

सहायक वक्ता एवं
उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (दक्षिण)